

फार्म 23

(देखें नियम 38(3))

चिकित्सा प्रमाण पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/(हमने).....पुत्र श्री .....की  
सावधानीपूर्वक जांच की जोकि.....में .....पद पर कार्यरत है।  
उसके स्वयं के द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार उसकी आयु.....वर्ष है और  
वह दिखने में .....वर्ष के प्रतीत होते हैं। मेरे/(हमारे) मतानुसार  
श्री.....विभाग में .....(यहाँ पर रोग या कारण का  
उल्लेख करें) के परिणामस्वरूप किसी भी प्रकार की सेवा करने के लिए पूर्णतः एवं  
स्थायी रूप से अक्षम हो गए हैं।

(यदि वह पूर्णतः या स्थायी रूप से अक्षम नहीं है तो प्रमाण पत्र में तदनुसार संशोधन  
किया जाना चाहिए और निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाना चाहिए)

“ मेरे/(हमारे) मतानुसार .....माह के विश्राम के पश्चात श्री  
.....इससे पूर्व किए जा रहे कार्य से कम परिश्रमी कार्य की भावी सेवा के  
लिए उपयुक्त है, इससे पूर्व किए जा रहे कार्य से कम परिश्रमी कार्य की भावी सेवा के  
लिए उपयुक्त हो जाएंगे। “

स्थान -

तारीख

चिकित्सा प्राधिकारी

- 2. Form of Letter to the Chief Administrative Medical Authority for medical examination in connection with the commutation of pension - Form 3.**
  
- 3. Form to be used by the Medical Board when reporting on injuries/ disease/death.**
  
- 4. Central Government Health Scheme (CGHS) Reimbursement Claim Forms.**
  
- 5. Form of application for CGHS Card for Pensioners**